

असहयोग आन्दोलन एवं नारी



डॉ. लाल बाबू प्रसाद
एम.ए., पीएच.डी.
इतिहास, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

भारतीय नारियों की स्थिति में अनेक कारणों से धीरे-धीरे गिरावट आयी। अतः आर्यकालीन युग के स्वर्णिम अतीत को खोकर समाज में दयनीय जीवन व्यतीत करने लगीं। जैसा कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी काल में कुछ भारतीय समाज सुधारकों द्वारा नारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। उनके अथक प्रयासों से समाज एवं आमलोगों के विचारों एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। यह परिवर्तन उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों एवं बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में स्पष्टतः दिखाई देने लगा। लेकिन स्थिति अब भी पूर्णतः संतोषप्रद नहीं थी। लोगों और समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तनों के बावजूद स्त्रियाँ देश की सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काफी पीछे थीं। उनमें राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वथा अभाव था।

उनमें जहाँ तक राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रश्न है वह बीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक से प्रारंभ होता प्रतीत होता है। 1919 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आया। उसके बाद उनके नेतृत्व में नारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। उनके सामाजिक जीवन में भी कुछ स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। भारत में एक नवीन चेतना स्पष्टतः दिखाई देने लगा था। इसका मूल श्रेय महात्मा गांधी और उनके नेतृत्व को जाता है। उस समय से भारतीय नारियों द्वारा न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि सामाजिक नव-निर्माण में भी दृष्टिगोचर होने लगा। अतः इस संदर्भ में महात्मा गांधी को नारियों के संबंध में आम धारणा एवं विचारों का विश्लेषण वांछनीय प्रतीत होता है।

1919 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद महात्मा गांधी द्वारा नारी जागरण एवं उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। स्वराज्य गांधी जी का अंतिम लक्ष्य था।

उन्होंने स्वराज्य आंदोलन के कार्यक्रमों द्वारा सार्वजनिक सेवा के लिए महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर लाने तथा सामाजिक कुरीतियों से सावधान कर उनके सदगुणों को उजागर करने और आर्थिक स्वालंबन, साहस एवं उत्तरदायित्व के साथ उन्हें ऊँचा उठाने का प्रयास किया।

स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अहिंसा को आधारभूत मान्यता के रूप में स्वीकृति प्रदान की। स्वराज्य की लड़ाई कर उनका हथियार असहयोग था। उन्हें विश्वास था कि स्त्रियों को असमर्थ अवस्था में छोड़कर पुरुष वर्ग असहयोग की लड़ाई सफलतापूर्वक नहीं लड़ा जा सकता है क्योंकि पुरुषों के जेल जाने पर पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व पूर्णतः स्त्रियों पर आ जायेगा। अतः नारियों की दशा में सुधार लाकर उनमें देश—प्रेम, त्याग, बलिदान, साहस और शक्ति का विकास करना आवश्यक था। साथ ही असहयोग, जीवन आवश्यकताओं में स्वाबलम्बी बने बिना टिक नहीं सकता। तत्कालीन परिस्थितियों में ग्रामोद्योग एवं गृह उद्योग के बिना स्वाबलम्बन संभव नहीं था। इनमें से अधिकांश कार्य स्त्रियों के अनुकूल थे।

महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि अहिंसा के सर्वोत्तम रूप का प्रदर्शन स्त्री ही कर सकती है, क्योंकि, वह किसी भी रूप में हिंसक नहीं बन सकती है। वे स्त्री के प्रेरक शक्ति मानते थे और संभवतः इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के समय से कस्तुरबा को हमेशा अपने साथ रखा। गांधी जी का यह विश्वास था कि जब तक राष्ट्र की जननी नारियाँ ज्ञानवान नहीं होती और जबतक उनसे संबंधित कानूनों, रिवाजों और पुरानी रुद्धियों में मौलिक परिवर्तन नहीं होता तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इतना ही नहीं उनका तो यह भी विश्वास था कि यदि हम अहिंसक समाज का निर्माण और दुनिया में शांति की स्थापना चाहते हैं तो नेतृत्व स्त्रियों के हाथों में होना चाहिए।

1919 ई. में पहली बार, वृहत पैमाने पर महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में भारतीय महिलाओं को सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन, महात्मा गांधी द्वारा संचालित इस सत्याग्रह में महिलाओं की संख्या अत्यधिक सीमित थी। महिलाओं के छोटे—छोटे समूहों द्वारा बम्बई और पंजाब में एक—दो स्थानों पर राजनीतिक बैठकें आयोजित की गई। एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू द्वारा बम्बई में आयोजित इस प्रकार की बैठकों को संबोधित किया गया और उन्होंने इन बैठकों में महिलाओं को सत्याग्रह की प्रकृति के संदर्भ में प्रशिक्षित किया गया।¹ कस्तुरबा गांधी एवं कमला देवी चटोपाध्याय द्वारा सत्याग्रह संबंधी साहित्य बम्बई की गलियों में बेचा गया।² इस संदर्भ में सरला देवी का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने महिलाओं को राजनीतिक आधार पर संगठित किया।³ लाहौर में इस प्रकार की राजनीतिक बैठकों में महिलाओं की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती रही, लेकिन उन्हें सही रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। 1922 ई. के अखिल भारतीय कांग्रेस

समिति की बैठक में 250 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। लेकिन, उसमें महिलाओं की संख्या मात्र सोलह थी।⁴

इस संदर्भ में विचारणीय प्रश्न है कि इस प्रकार की राजनीतिक बैठकों में या स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के मार्ग में कौन-कौन सी बाधाएँ थीं? संभवतः अशिक्षा, रुढ़िवादी सामाजिक संरचना, सामाजिक एवं धार्मिक परम्परा, पर्दा प्रथा आदि उनके मार्ग में प्रमुख बाधा बनी हुई थीं। शायद महात्मा गांधी नारियों की इन सीमाओं से भिन्न थे, और उनके द्वारा जो रचनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था उसमें महिलाओं के प्रशिक्षण एवं शिक्षा का भी समावेश किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रशिक्षण का अर्थ था, रचनात्मक कार्यक्रमों में सहभागिता।

महात्मा गांधी द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम में नारियों की सहभागिता पर बल दिये जाने के पीछे कई बातों का ध्यान रखा गया था। महिलाओं द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने से वे इस स्थिति में आ जायेंगी कि वे स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर सके। ऐसे कार्यक्रमों में सामाजिक सुधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ऐसी स्थिति में समाज की रुढ़िवादी विचारधारा वाले लोग न तो महिला को रचनात्मक कार्यक्रमों में और न ही राजनीति में भाग लेने का विरोध करते। इसी प्रकार खादी के प्रचार-प्रसार और नशाबंदी कार्यक्रमों में उनके भाग लेने से न तो परिवार का और न समाज की आलोचना का शिकार होना पड़ता। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर प्राप्त अनुभव और उन्हें बड़े पैमाने पर इस प्रकार की भावी गतिविधियों में भाग लेने में आत्म विश्वास प्रदान करता। इसके साथ ही साथ उनमें नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता। अतः महिलाओं को स्थानीय स्तर पर खादी, ग्रामीण उद्योग, नशाबन्दी आदि से संबंधित कार्यक्रमों में सहभागिता का निर्णय लिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की 1921 ई. की बैठक में गांधीजी को अपने प्रस्ताव को स्वीकृत कराने में सफलता प्राप्त हो गई, जिसके द्वारा खादी को स्वराज्य के लिए संचालित आंदोलन का एक अभिन्न भाग घोषित किया गया।⁵ इतना ही नहीं गांधी जी द्वारा कांग्रेस के सदस्यों की पत्नियों, बच्चियों को खादी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरला देवी चौधरानी द्वारा इस विचार को पंजाब में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया गया। संभवतः वह पहली महिला थी, जिन्होंने खादी वस्त्र धारण कर एक आम बैठक को संबोधित किया।⁶ एक संभ्रांत परिवार की महिला द्वारा खादी वस्त्र पहनने और आम बैठक को संबोधित करने का प्रभाव अनेकों मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं पर पड़ा और उनके द्वारा विदेशों से आयातित महंगे वस्त्रों का परित्याग करने का निर्णय लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुपुत्री मनीषेन पटेल द्वारा गुजरात की महिलाओं को स्वदेशी संगठन के झंडे तले संगठित किया गया। उन्हें इस कार्य में

महात्मा गांधी से समर्थन एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। मनीबेन पटेल को प्रेषित एक पत्र में महात्मा गांधी ने लिखा था कि “हम सिर्फ पहनावे की विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहेंगे। कुछ लोगों के घरों में विदेशों से आयात किए गए महंगे कालीन हैं, जिनका वे परित्याग नहीं करना चाहेंगे। अतः हम उनके द्वारा उसका परित्याग किया जाना नहीं चाहेंगे। यही काफी है कि वे आगे इस प्रकार की कीमती महंगी विदेशी वस्तुओं की खरीदारी न करें।”⁷

राजकुमारी अमृत कौर द्वारा पंजाब में सूत कातने वालों के एक संघ का गठन किया गया और उन्होंने पूरे पंजाब में व्यापक स्तर पर खादी का प्रचार एवं प्रसार किया।⁸ सी. आर. दास की पत्नी वसंती देवी एवं बहन प्रमिला दास द्वारा कलकत्ता की गलियों में खादी वस्त्र की विक्री की गई। पुलिस द्वारा इन दो महिलाओं को बंदी बनाने की तीव्र प्रतिक्रिया वहाँ हुई और खादी आंदोलन को नई शक्ति एवं नया उत्साह प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप अनेकों मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं ने खादी आंदोलन में भाग लेने के लिए स्वयंसेविका के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ये महिलाएँ अबतक खादी आंदोलन की कलकत्ता में मिली सफलता से गांधी काफी उत्साहित हुए। वे चाहते थे कि महिलाओं और पुलिस में टकराव की स्थिति न आये या उन्हें जेल न जाना पड़े। लेकिन कलकत्ता के महान् व्यक्तित्व सी. आर. दास की पत्नी एवं बहन ने गांधी जी की सोच से आगे बढ़कर काम किया, और खादी आंदोलन की सफलता से वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसके बाद से ही स्वतंत्रता आंदोलन के हर क्षेत्र में नारियों की सहभागिता का काल प्रारंभ हुआ और वे समस्त राष्ट्रीय क्रियाकलाप में भाग लेने लगी।⁹

गंधी जी ने एक ऐसे अहिंसक समाज की कल्पना की थी, जिसमें पुरुष एवं महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे के साथी हो। उनके विचार में अहिंसक समाज में पुरुष नारियों के मालिक या स्वामी नहीं होंगे। बल्कि, वे एक दूसरे के मित्र एवं साथ काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे। महिलाएँ रसोई घर की दासी या पुरुषों के हाथों की खिलौना नहीं होंगी। बल्कि, सामान्य सेवा के क्षेत्र में वे एक दूसरे के मित्र होंगे। स्त्रियों को अपने जीवन को संवारने की उतनी ही छूट होगी, जितना की पुरुषों को और सामाजिक जीवन के संचालन के नियमों का निर्माण आपसी परामर्श एवं सहयोग से करेंगे।¹⁰

इन विचारों की पृष्ठभूमि में गांधी जी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद में स्वतंत्रता के संग्राम में महिलाएँ पुरुषों से पीछे रहे। उन्होंने 1921 ई. में ही स्पष्ट किया था कि भारतीय नारियों को स्वराज्य की प्राप्ति में पुरुषों के समान ही भागीदारी होनी चाहिए।¹¹

यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि कई भारतीय समाज सुधारकों द्वारा भारतीय समाज में वर्तमान सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए आमूल प्रयास किया जाय। लेकिन,

उनके प्रयासों से वर्तमान सामाजिक संरचना में उपांतिक परिवर्तन ही लाया जा सका। बीसवीं शताब्दी में नारी पुनर्जागरण एवं जनजीवन में सहभागिता के बाद ही तेजी से सामाजिक परिवर्तन प्रारंभ हुआ और इसका मूल श्रेय महात्मा गांधी को जाता है।

महिलाओं में जागृति की नींव उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अनेकों समाज सुधारकों ने रखी। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के कारण बीसवीं शताब्दी में गति आयी। लेकिन, इसकी सफलता का मूल आधार नारियों में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार था। इसी पृष्ठभूमि व सामाजिक कुरीतियों एवं परम्परागत बंधनों से मुक्ति में शिक्षा के महत्व का आकलन किया जा सकता है।

प्रारंभ में कुछ अभिजन वर्गीय महिलाओं द्वारा काफी सामाजिक प्रतिरोध एवं कुछ सीमा तक विरोध का सामना करने के बाद ही विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकी लेकिन, इन अभिजन महिलाओं ने अन्य महिलाओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के बाद महिलाएँ विशेषकर शिक्षित महिलाएँ अपने संबंध में सोचने लगी। इसके परिणामस्वरूप ऑल इंडिया वीमेन्स कांग्रेस 1927 ई. में आया। इस सम्मेलन में एक शैक्षणिक संगठन के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। लेकिन, अपनी स्थापना के मात्र तीन वर्ष बाद ही यह सम्मेलन नारियों से संबंधित समस्त समस्याओं पर विचार विमर्श करने लगी।¹²

इस प्रकार महिलाओं में जागृति आने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन, इसे वास्तविक गति 1930 ई. में महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्राप्त हुआ। वास्तव में पहली बार 1930 ई. में गांधी जी की पुकार पर बड़ी संख्या में महिलाएँ घर की चहारदीवारी से बाहर आयी और ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन से मातृभूमि को आजाद कराने के लिए पुरुषों के साथ आर्थिक संघर्ष में सम्मिलित हुई। सैकड़ों महिलाएँ जेल गई, और तरह-तरह की यातनाएँ सही। वास्तव में यह महिलाओं का आंदोलन था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा करांची अधिवेशन द्वारा पारित प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि “सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं, चाहे वे किसी धर्म, जाति, पंथ या लिंग के हों।” स्त्रियों द्वारा 1940 के आंदोलन में नारियों की सक्रिय सहभागिता के कारण ही प्रस्ताव में “लिंग” संबंधी भेदभाव को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

संदर्भ सूची :—

1. एनी बेसेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, 1922, पृ. 91–104 |
2. द बाम्बे क्रोनिकल्स, 17 फरवरी, 1919 |
3. कमला देवी चटोपाध्याय, आई रिमेम्बर, 1924 रिमिनेन्सेज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 18–19 |
4. द ट्रिब्यून, 3 सितम्बर, 1919 |
5. एआईसीसी पेपर्स, फाइल संख्या 16 / 1922–24 |
6. द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 20–21 |
7. वही, पृ. 20–22 |
8. एम. के. गांधी, लेटर्स टू मनीबेन पटेल, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1960 |
9. एम. के. गांधी, लेटर्स टू राजकुमारी अमृत कौर, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1961, पृ. 6 |
10. यंग इंडिया, 1919–1921, पृ. 764 |
11. वही |
12. वही, 15 दिसम्बर, 1921 |

